लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 21 जनवरी, 2006 ई0 (माघ 1, 1927 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग की अंक-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

16 दिसम्बर, 2005 ई0

सं0 स्था0 नि0 सहा0/इक्कीस-18 (2002-2003)-355--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सामान्य लाइसेन्स को नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत फैजाबाद ने संशोधित उपविधि बनाई है, जिसकी पुष्टि करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से लागू होगी।

उपविधि संशोधन

जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा सामान्य लाइसेन्स के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि उत्तर प्रदेश शासन के गजट में विज्ञप्ति संख्या 672/21-20 (88-89)-2, दिनांक 13 मई, 1990 द्वारा प्रकाशित है, की दरों में संशोधन किया गया है। जिसकी पुष्टि आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 242 (4) के अन्तर्गत की गयी है। यह संशोधन शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी--

क्र0-सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दर	प्रस्तावित संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़े की दुकान 50 हजार का सामान से अधिक हो	50.00	150.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		रु०	रु०
2	कपड़े की दुकान 50 हजार से कम का सामान हो	30.00	100.00
3	किराना की छोटी दुकान 50 हजार से अधिक का सामान हो	50.00	150.00
4	किराना की छोटी दुकान 50 हजार से कम का सामान हो	25.00	[illegible]
5	गल्ले की आढ़त	100.00	500.00
6	गल्ले की छोटी दुकान फुटकर	25.00	[illegible]
7	आभूषण बेचने की दुकान	100.00	300.00
8	सोनारी (मरम्मत)	10.00	50.00
9	अंग्रेजी, यूनानी, आयुर्वेदिक, मेडिकल स्टोर जिसमें 50 से अधिक का सामान हो	50.00	150.00
10	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी, यूनानी जिसमें 50 हजार से कम का सामान हो	25.00	75.00
11	मिठाई, चाय, नमकीन	25.00	75.00
12	केवल मिठाई	20.00	[illegible]
13	केवल चाय, नमकीन	10.00	50.00
14	होटल	30.00	100.00
15	पुस्तक स्टेशनरी 50 हजार से अधिक	30.00	100.00
16	पुस्तक स्टेशनरी 50 हजार से सामान कम	20.00	50.00
17	बिल्डिंग मैटेरियल	100.00	2000.00
18	कृषि यंत्रों की दुकान	25.00	50.00
19	कृषि यंत्र जिसमें ट्रैक्टर पार्ट्स, पम्पसेट, चारा मशीन, हैण्ड पम्प आदि	100.00	300.00
20	लोहा, कील कांटा, नटबोल्ट आदि	25.00	50.[illegible]
21	शरबत, लस्सी, सोडा वाटर पेय आदि	5.00	50.0
22	इमारती लकड़ी	50.0	100.00
23	ईंधन, जलाने वाली लकड़ी	10.00	50.00
24	कोयला	20.00	50.00
25	नई साइकिल	50.00	100.00
26	घड़ी, साइकिल मरम्मत	10.00	50.00
27	रेडियो मरम्मत	20.00	50.00
28	रेडियो कैसेट विक्रेता	20.00	75.00
29	जनरल स्टोर	25.00	100.00
30	चूड़ी थोक	25.00	50.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		रु०	रु०
31	फल, सब्जी थोक	20.00	100.00
32	फल, सब्जी फुटकर	10.00	50.00
23	वेल्डिंग मशीन निर्माण कार्य विक्रेता	10.00	300.00
34	वेल्डिंग मरम्मत	10.00	50.00
35	खराद मशीन	20.00	50.00
36	टीन बक्सा विक्रेता	25.00	50.00
37	सीमेन्ट की दुकान	50.00	100.00
38	सिलाई मशीन साधारण	15.00	50.00
39	सिलाई मशीन इन्टरलाक के साथ	30.00	75.00
40	लाउड्स स्पीकर उससे सम्बन्धित दुकान	15.00	50.00
41	समस्त प्रकार के बीज बिक्रेता	20.00	50.00
42	सीमेन्ट जाली निर्माता	20.00	50.00
43	ह्यूम पाइप निर्माता	500.00	1500.00
44	रासायनिक खाद थोक	50.00	100.00
45	रासायनिक खाद फुटकर	25.00	50.00
46	कीटनाशक दवा	10.00	50.00
47	सुरखी का व्यवसाय	100.00	200.00
48	पत्थर का सामान	10.00	50.00
49	पेन्ट या चूना की दुकान	10.00	50.00
50	क्राकरी की दुकान	20.00	50.00
51	आतिशबाजी की दुकान	10.00	50.00
52	बालू, रेत, मोरंग, पटरा, बल्ली की दुकान	30.00	60.00
53	स्वचलित वाहन की मरम्मत की दुकान	25.00	100.00
54	अफीम, गांजा, भांग, ताड़ी की दुकान	50.00	200.00
55	शराब की दुकान	300.00	1000.00
56	बर्तन की बड़ी दुकान 50 हजार से अधिक का सामान हो	50.00	200.00
57	इलेक्ट्रिक की दुकान 50 हजार से अधिक का सामान	30.00	100.00
58	तम्बू, टेन्ट, कुर्सी, मेज, बर्तन आदि की दुकान	30.00	200.00
59	डीजल फुटकर, मिट्टी के तेल की दुकान	25.00	100.00
60	सिनेमा हाल	300.00	700.00
61	कबाड़	25.00	100.00
62	पेट्रोल, डीजल पम्प	300.00	700.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
		रु0	रु0
63	कोल्ड स्टोरेज,	500.00	1500.00
64	अन्य कोई व्यवसाय जो उपरोक्त में न आते हों	50.00	300.00
65	वीडियो हाल	..	300.00
66	वाहन ट्रैक्टर डालो एजेन्सी	..	1000.00
67	वीडियो शूटिंग	..	100.00
68	भट्ठी	..	500.00
69	गोदाम	..	500.00
70	आटोमोबाइल्स	..	200.00
71	फोन क्रेशर	..	200.00
72	ट्रक बस बाड़ीमेकर	..	500.00
73	पान की दुकान	5.00	25.00

16 दिसम्बर, 2005 ई0

सं0 स्था0नि0सहा0 इक्कीस–19 (2002–2003) 356—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये पशुबाजार लाइसेन्स को नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, फैजाबाद ने संशोधित उपविधि बनाई है, जिसकी पुष्टि ... अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की के दिनांक से लागू होगी।

संशोधित उपविधि

जिला पंचायत, फैजाबाद द्वारा पशुमेला, पशुबाजार, कृषि प्रदर्शनी अथवा औद्योगिक प्रदर्शनी, साधारण बाजार के लाइसेन्स के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में विज्ञप्ति संख्या 675 इक्कीस– (88–89), दिनांक 17 अप्रैल, 1989 द्वारा प्रकाशित है, की दरों में संशोधन किया गया है। इसे उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 242(4) के अन्तर्गत आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने पुष्टि की है। यह संशोधित दर उ0 प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी :

क्रम सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	पशुबाजार 50 हजार रु0 तक की आय पर	1500.00	2000.00
2	50 हजार से 1 लाख तक की आय पर	2000.00	3000.00
3	1 लाख से ऊपर की आय पर	..	4000.00
4	कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी मेले जो वर्ष में एक बार लगते हैं	500.00	1000.00
5	साधारण हाट या बाजार जो सप्ताह में एक या दो बार लगते हैं	200.00	500.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

16 दिसम्बर, 2005 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस–20(2002–2003)357--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ईंट भट्ठा लाइसेन्स शुल्क को नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत फैजाबाद ने संशोधित उपविधि बनाई है, जिसकी पुष्टि करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से लागू होगी।

उपविधि

जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा ईंट भट्ठों के लाइसेन्स के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में विज्ञप्ति संख्या 824/21–39 (92–93), 4 मई, 1993 द्वारा प्रकाशित है की दरों में संशोधन किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 242 (4) के अन्तर्गत आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा पुष्टि प्रदान की गयी है। यह संशोधन उ० प्र० शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
		रु०	रु०
1	चिमनी ईंट भट्ठा	2000.00	4000 वार्षिक

अरुण कुमार सिन्हा,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

पी० एस० यू० पी०--43 हिन्दी गजट--भाग 3--2005 ई०

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]
[illegible]
[illegible]

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020 ई० (आश्विन 18, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

07 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 स्था0नि0सहा0/इक्कीस-1(2013-14)790–जिला पंचायत, अयोध्या ने उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश सं0 1152/33-2-2017-62जी/2017, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को दृष्टिगत जनपद अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मिल/कारखाना/फैक्ट्री को नियंत्रित एवं नियमित किये जाने संबंधी उपविधि जो विज्ञप्ति संख्या 950/इक्कीस-45 (88-89) दिनांक 24 सितम्बर, 1990 द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0 राजकीय गजट दिनांक 20 अक्टूबर 1990 में प्रकाशित है, में निम्न विवरण के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव पारित किया है।

उक्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित संशोधन अधिनियम की धारा 239(2) में दिये गये प्राविधानों की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण को सूचनार्थ आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन को लेकर आपत्तियां/सुझाव इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अयोध्या को प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियां/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियां/सुझाव प्राप्त होने पर पुनः बैठक में रखकर स्वीकृति प्राप्त कर आयुक्त महोदय के माध्यम से गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी :

मिल/कारखाना/फैक्ट्री के उपविधियों की संशोधित दरों का विवरण–

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	संशोधित दर
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

	2	3
		रु०
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस शेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग तक)	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग से अधिक क्षमता तक)	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने कारखाना	5,000.00
34	हाट मिक्स प्लाण्ट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1	2	3
		रु0
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (रिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुयें बनाना	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धित यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाईप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50	सीमेंट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंकरीट आदि के ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	विनियर एण्ड शो मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
65	लेमिनेशन बनाने का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग बनाने का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	बेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

[illegible]	[illegible]लाई करने का कारखाना	1900.00
[illegible]	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5000.00
76	[illegible] बनाने का कारखाना	4000.00
77	धागा [illegible] का कारखाना	7000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	2000.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	7000.00
81	[illegible] बनाने का कारखाना	3000.00
82	[illegible] पट्टी बनाने का कारखाना	7000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	10000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5000.00
88	तार पाइप बनाने का कारखाना	100000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	3500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5000.00
97	पंप, टेप बनाने का कारखाना	4000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5000.00
99	निकिल पालिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5000.00
100	शीशा बनाने का कारखाना	5000.00
101	मोटर पुर्जा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5000.00
102	हड्डी मिल	25000.00
103	सरेश मिल	5000.00
104	पेट्रोल मिल	4000.00
105	डीजल मिल	5000.00
106	[illegible] प्लान्ट	25000.00
107	सादा या काला [illegible] बनाने का कारखाना	2000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2500.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1	2	3
		रु0
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00
110	विडियो, सिनेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडिमेड गारमेंट्स बनाने का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रान्सफार्मर बनाने की फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00

वर्तमान में जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित उपरोक्त सूची के उद्योगों से अतिरिक्त भविष्य में संचालित होने वाले उद्योगों की लाईसेंस फीस निम्नवत् निर्धारित की जा सकेगी–

प्रस्तावित लाईसेन्स शुल्क

1	सूक्ष्म कुटीर उद्योग (माइक्रो) (लागत 25 लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00
2	लघु उद्योग (स्माल) (लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00
3	मध्यम उद्योग (मीडियम) (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 50,000.00
4	भारी उद्योग (हैवी) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विवरण में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद के जिला उद्योग विभाग से अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी/कर अधिकारी द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक जनपद में लाइसेन्स की दरों में एकरूपता बनी रहे।

एम0 पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पी0एस0यू0पी0–28 हिन्दी गजट–भाग 3–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अयोध्या

Scanned with OKEN Scanner